

सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, ट्रैफिक चालान न भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें

File

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सुझाव दिया है कि अगर कोई ट्रैफिक ई-चालान न भरें तो उसके बिजली बिल में जोड़ दें। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हजारों-लाखों ई-चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है, असली चुनौती जुर्माने की वसूली है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सोमवार को सड़क सुरक्षा और ई-चालान

**RTO से
जुड़े कई
और काम
रोकने का
भी सुझाव**

की वसूली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया।

कोर्ट को बताया गया कि ई-चालानों के तहत करीब 45

हजार करोड़ रुपये की वसूली करनी है, जिसमें से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये अब तक वसूले जा चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ट्रैफिक चालान का बकाया अगर बिजली बिल में जुड़ जाएगा तो लोगों को बिल तो भरना ही पड़ेगा, वरना कनेक्शन कट जाएगा। इस पर काम कीजिए।'



**बड़ी खबरों पर
एक नजर...**

- 2 हजार से ऊपर यूपीआई भुगतान पर MDR के खिलाफ SC में अर्जी, केंद्र से मांगा जवाब ►► पेज 8
- सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से पूछा, पैकेज्ड फूड पर फ्रंट लेबलिंग में इतना वक्त क्यों चाहिए? ►► पेज 8
- सोहराबुद्दीन केस: 22 लोगों के बरी होने के खिलाफ अर्जी पर SC में सुनवाई ►► पेज 9

‘गाड़ी भी जब्त कर सकते हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चालान न भरने वाले वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने, फिटनेस, पीयूसी प्रमाणपत्र रोकने और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाने पर भी विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से जारी लाइसेंस निलंबित

करने और बकाया चालान वाले वाहनों की रैंडम जांच का भी सुझाव दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि वाहनों की रैंडम जांच में चालान का भुगतान न मिले तो वाहन को तुरंत जब्त करने जैसे कदम भी अधिकारी उठा सकते हैं।